10.08.2021

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा श्री फरीद अहमद अधिवक्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये उपस्थित।

प्रत्यर्थीगण/व्यथितगण की ओर से अधिवक्ता श्री लखनराजपूत ने मेमो पेश किया।

पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 399(2) एवं सहपठित धारा 401(5) द.प्र.सं. एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 399(2) एवं सहपठित धारा 401(5) द.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर श्रीमती सोनाली शर्मा के द्वारा धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पारित अंतरिम भरणपोषण राशि प्रदान किये जाने के आदेश दिनांक 23.03.21 से पीड़ित होकर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। परंतु तर्क के दौरान उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक ने इस गलत विश्वास के आधार पर आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत कर दी गई थी कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील के स्थान पर पुनरीक्षण प्रस्तुत की जाती है। अतः उक्त आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अपील के रूप में मान्य कर न्यायहित में सुनवाई में लिया जावे।

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि श्रीमती सोनाली शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर के द्वारा धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अंतरिम भरणपोषण राशि प्रदान किये जाने का आदेश दिनांक 23.03.21 को दिया गया था, जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 31.03.21 को प्राप्त हुई थी तथा पुनरीक्षणकर्ता ने भूलवश यह पुनरीक्षण याचिका, अपील के स्थान पर प्रस्तुत कर दी गई थी, जबकि अपील के लिये निर्धारित समय 30 दिवस की अवधि गुजर चुकी है। पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक को भूलवश यह पता था कि उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण होती है, जिसमें 90 दिवस की अवधि का प्रावधान है। पुनरीक्षणकर्ता के द्व ारा यह बताया गया है कि अंतरिम भरणपोषण का आदेश पारित होने के बाद 10.04.21 से कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालय में नियमित सुनवाई स्थगित कर दी गई थी तथा वर्तमान में भी 3 वर्ष से अधिक पुराने मामले व शीघ्र सुनवाई के मामलों में सुनवाई की जा रही है तथा न्यायालयों में अन्य मामलों की सुनवाई की जैसे ही पुनरीक्षणकर्ता को जानकारी हुई वैसे ही उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा जानबूझकर कोई भूल नहीं की गई है। अतः धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन स्वीकार कर अपील को सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त दोनों ही आवेदन पत्रों पर अनावेदकगण के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्व ारा यह व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा इस गलत विश्वास के

आधार पर कि धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पारित अंतरिम भरणपोषण में आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण होती है। यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर दी गयी थी। तथा पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि इस पुनरीक्षण को अब अपील के रूप में सुनवाई में लिया जावे। द.प्र.सं. की धारा 399(2) एवं सहपठित धारा 401(5) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण को अपील में परिवर्तित किया जा सकता है। यहां पर यह भी स्पष्ट है कि यदि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को अपील के रूप में देखा जावे तो उसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर श्रीमती सोनाली शर्मा के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23.03.21 के विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण, दिनांक 15.07.21 को प्रस्तुत की गई है, जो कि विलंब से प्रस्तुत है। परंतु पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह स्पष्ट बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण वह पूर्व में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका था।

यहां स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमण के बाद न्यायालयों में सीमित प्रकृति के मामले ही लिये जा रहे थे तथा साथ ही पुनरीक्षणकर्ता के द्व ारा पुनरीक्षण के लिये दी गई समय सीमा के संबंध में भूल के बारे में भी व्यक्त किया गया है तथा अनावेदकगण के द्वारा भी उक्त के संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। प्रकरण को गुणदोष के आधार पर निराकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपरोक्त स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण सुनवाई में लिया जाता है। साथ ही धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को अपील के रूप में सुनवाई किया जाना आवश्यक है। अतः इस पुनरीक्षण याचिका को परिवर्तित करते हुये अपील के रूप में सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाता है।

अतः यह पुनरीक्षण याचिका सी.आई.एस. से डिस्पोज कर अपील प्रकरण के रूप में पंजीबद्ध की जावे।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक 14.08.2021 को पेश हो।

सही–

(सुधांशु सिन्हा)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,

छतरपुर (म0प्र0)